Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 02/2017

Arvind Kr. Chand ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar Through D.M. Purnea ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	27.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–05/359/16–3034/स्था0 दिनांक–27.12.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी अनुपस्थित। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी दिनांक–18.02.2021 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दिनांक–02.08.2023 को उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी निर्धारित अग्रिम सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों का अवलोकन तथा समीक्षा किया। अपीलार्थी वर्ष 2015 में प्रखंड कार्यालय, रूपौली में लिपिक के पद पर पदस्थापित एवं जिला गोपनीय शाखा, पूर्णिया में प्रतिनियुक्ति के दौरान गोपनीय शाखा को प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों यथा–E-mail/Fax को संबंधित कार्यालय/प्रशाखा को भेजने में विलंब/लापरवाही बरते जाने के साथ इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के निदेशों का भी अनुपालन नहीं किया जाता था। सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का पत्रांक–1038 दिनांक–26.05.2015 विलंब से प्राप्त कराये जाने के फलस्वरूप नगर पंचायत, बनमनखी, पूर्णिया के उप मुख्य पार्षद के रिक्त पद के निर्वाचन से संबंधित प्रतिवेदन ससमय नहीं जाने के कारण चुनाव नहीं हो पाने का आरोप प्रतिवेदित है। उक्त आरोप के आलोक में इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में वरीय उप समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक–1035/आ0प्र0 दिनांक–22.10.2016 द्वारा स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णिया को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उपस्थापन पदाधिकारी ने नगर पंचायत, बनमनखी में चुनाव संपन्न होना बताया है। अपीलार्थी उक्त अवधि में गठित आरोप के विपरीत समाहरणालय वेश्म में कार्यरत थे। उपलब्ध साक्ष्य में अपीलार्थी की लिखावट नहीं होने की पुष्टि उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा की गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा भी अपने अभ्यावेदन में स्वयं को	

Web Copy Not Official.

		निर्दोष होना बताया गया है। अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अप्रमाणित आरोप के आलोक में संसूचित दंड क्रमशः	
	लगातार 27.09.2023	विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–3034 दिनांक–27.12.2016 में अपीलार्थी के विरूद्ध अधिरोपित निन्दन की सजा को यथावत् रखते हुए निलंबन अवधि का बकाया वेतन/भत्ता नियमानुकूल भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.